संख्या-53 /2024/2458/77-6-24-5(एम)/2017टीसी 15

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषयः 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के प्रस्तर-5.2 एवं प्रस्तर-6.3 में परस्पर विरोधाभास को स्पष्ट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या-26/2020/2180/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-15, दिनांक 14.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थकि रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' प्रख्यापित की गई है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के प्रस्तर 5.2 के अनुसार नेट एस.जी.एस.टी. की निम्न तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार प्रतिपूर्ति का प्राविधान हैः-

नेट एस.जी.एस.टी. की वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	पात्र पूँजी निवेश की अधिकतम वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल		मध्यांचल	
		अनुमन्य पूँजी निवेश (पात्र पूँजी निवेश का प्रतिशत)	अवधि (वर्ष)	अनुमन्य पूँजी निवेश (पात्र पूँजी निवेश का प्रतिशत)	अवधि (वर्ष)
70	20	300	15	200	12

3- त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के प्रस्तर 6.3 के अनुसार निम्न प्राविधान किया गया हैः-

यदि इस नीति के अन्तर्गत किसी इकाई को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया है अथवा इस नीति में वर्णित सुविधाएं अनुमोदित की गयी है, तो इस नीति के प्रस्तर-3.1 (अर्हता) में उल्लिखित वाणिज्यिक उत्पादन सम्बन्धी समय सीमा

पूर्ण न करने की दशा में इकाई इस नीति के प्रस्तर-5 (अनुमन्य सुविधाएं) में उल्लिखित सभी सुविधाओं हेतु अर्ह होगी, परन्तु नेट राज्य जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा की अवधि (यथा श्रेणी-मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी हेतु 12 वर्ष एवं सुपर मेगा श्रेणी हेतु 15 वर्ष) घटाकर सभी श्रेणी की मेगा परियोजनाओं हेतु समान रूप से 10 वर्ष ही अनुमन्य करायी जायेगी। जो पात्र पूँजी निवेश के आधार पर ही होगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के प्रस्तर 5.2 के अनुसार बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाई हेतु सुविधाओं की अवधि 15 वर्ष एवं मध्यांचल क्षेत्र में यह अवधि 12 वर्ष प्राविधानित है जबकि प्रस्तर 6.3 के अनुसार मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी हेतु 12 वर्ष एवं सुपर मेगा श्रेणी हेतु 15 वर्ष का उल्लेख है। इस प्रकार विभिन्न श्रेणी की इकाईयों को प्रतिपूर्ति की सुविधा की अवधि में विरोधाभास है।

4- उपरोक्तानुसार विरोधाभास की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नीति-2020 का प्रख्यापन कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य मे प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये किया गया था, अतः बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में स्थापित समस्त श्रेणी की इकाईयों को सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु 15 वर्ष का समय प्रदान किया जाये एवं मध्यांचल में स्थापित मेगा/मेगा प्लस श्रेणी की इकाईयों को 12 वर्ष एवं सुपर मेगा श्रेणी की इकाईयों को 15 वर्ष का समय प्रदान किया जाये।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-53 /2024/2458/77-6-24-5(एम)/2017टीसी 15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामध्यान रावत)
उप सचिव।